फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर(राज0)

खुशी मोहम्मद बनाम नूर मोहम्मद आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या :– 319/2024
GCMS:- 2024/736

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2025	आज यह पत्रावली अप्रार्थी संख्या–02 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अप्रार्थी संख्या–02 पैरोकार राज ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल मिसल रहे। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एच.डब्लयू.डी. के खाता संख्या 144/1 के पत्थर नं. 214/59 (143) के किला नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3, 13/3, 14 ता 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 3.114 हैक्टर व इसी चक 1 एच.डब्लयू.डी. के खाता संख्या 42/1 के पत्थर नं. 214/59 के किला नं. 1 ता 5/2, 7/2 ता 13/2, 19/2 ता 21/5 में 2.820 हैक्टर इस प्रकार दोनों खातो की कुल 5.934 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी के नाम से वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एच.डब्लयू.डी. के खाता संख्या 150/81 के पत्थर नं. 231/1 (120) के किला नं. 19 ता 24/2 में 1.418 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी का अलग–अलग पत्थर नम्बरान हैं। वादी की भूमि समतल व सुधारी हुई है तथा जबरदस्ती अतिक्रमण करने की फिराक में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.11.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें।	
	पैरोकार राज ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रश्नगत रकबा को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 02.06.2025 से रकबाराज दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त जैरप्रकरण रकबा माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने से वादी का उक्त रकबा पर कोई अधिकार नही रहा है तथा ना ही वे काश्तकार रहे हैं। इसलिये आवंटन निरस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।	
	उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी चक 1 एच.डब्लयू.डी. के खाता संख्या 144/1 के पत्थर नं. 214/59 (143) के किला नं. 4/2, 5/3, 6, 7/3, 13/3, 14 ता 18, 19/3, 21/4, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 3.114 हैक्टर व इसी चक 1 एच.डब्लयू.डी. के खाता संख्या 42/1 के पत्थर नं. 214/59 के किला नं. 1 ता 5/2, 7/2 ता 13/2, 19/2 ता 21/5 में 2.820 हैक्टर इस प्रकार दोनों खातो की कुल 5.934 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से मिडियम पेच आवंटन अंकित है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त मिडियम पेच आवंटन निरस्त किया जाकर रकबा आराजीराज अंकित करने का आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने से प्रार्थी प्रश्नगत रकबा का काश्तकार नही होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2024 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली नंबर से कम हो।	
	निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:12 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़